# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 189/2023

उनवान

1–3 जूजार, मांगीलाल, श्रीराम पिता हरलाल रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– दूदा पिता नारायण रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
2– शंकर पिता देबीलाल धाकड़ निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
3– रामनिवास पिता कल्याण धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट तहसील शाहपुरा
4– भभूत पिता मकराम रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
5– मु. हगामी पिता मकराम रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
6– सोनाथ पिता मूला रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
7– रड़मल पिता भैरू रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
8– मदन पिता पूसा रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री लालाराम गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **04/10/2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 9262 रकबा 1.00 है0** कुल किता 1 रकबा **1.00** हैक्टेयर का **प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के **विपक्षीगण** पड़ौसी है। **प्रार्थीगण** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण सं0 1 लगायत 4, 6 लगायत 8** बावजूद सूचना के नियत पेशी दिनांक 12.09.2023 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध दिनांक 18.09.2023 को एकतरफा कार्यवाही की गयी एवं विपक्षी सं0 05 की पुनः तलबी की गयी। नियत पेशी दिनांक 04.10.2023 को विपक्षी सं0 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थीगण** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **शाहपुरा** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 1 रकबा 1.00 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 800/– रूपये** कायम किये जाते है, जो **प्रार्थीगण** से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **04/10/2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा